संख्या–124 / VI-I / 2004

प्रेषक,

अमिताभ श्रीवास्तव,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खेल विभाग,
देहरादून।

खेल अनुभाग देहरादून : दिनांक 8 दिसम्बर, 2004

विषयः–पौड़ी में बहुउद्देशीय इन्डौर स्टेडियम के जीर्णोद्धार की स्वीकृति हेतु धनावंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक खेल निदेशालय के पत्र संख्या–1381 / पौ0इ0स्टे0पी0 / 2004–05, दिनांक 9 अगस्त, 2004 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद पौड़ी में बहुउद्देशीय इन्डौर स्टेडियम के जीर्णोद्धार हेतु वित्तीय वर्ष–2004–05 में वित्त विभाग टी0ए0सी0 द्वारा रू0 5.46 लाख के आंगणन के सापेक्ष रू0 4.99 लाख की धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई है। उक्त स्वीकृत धनराशि को श्री राज्यपाल महोदय निम्नलिखित शर्तो के आधार पर व्यय करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1– आंगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृति / अनुमोदित दरों को जो शिडयूल आफ रेट में स्वीकृति नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गई हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।

2– कार्य कराने से पूर्व विस्तृत आगणन / मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

3– कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

4– एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।

5– कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों / विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6– कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली–भांति निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भूगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

7– आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाए, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाए।

7(ए)–निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टैस्टिंग करा ली जाय तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाए।

2– उपरोक्त आवंटित धनराशि का उपयोग केवल उन्हीं मदों में किया जायेगा जिन मदों के लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों के अधीन व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक है। एसा व्यय सम्बन्धित अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर ही किया जाना चाहिए। स्वीकृत व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है।

3– किसी भी मद में व्यय के पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, भंडार क्रय नियम तथा मितव्ययता सम्बन्धी समय–समय पर निर्गत शासनादेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। उपकरणों का क्रय डी0जी0एस0एण्ड0डी0 की दरों पर किया जायेगा और ये दरें न होने की स्थिति में टेंडर (कोटेशन) विषयक नियमों का अनुपालन करते हुये ही किया जायेगा।

4– उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2004–05 के आय–व्ययक के अनुदान संख्या–11 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक–4202 शिक्षा, खेलकूद तथा संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय–आयोजनागत–03–खेलकूद तथा युवक सेवा, खेलकूद स्टेडियम–102–(लघुशीर्षक–108 के स्थान पर) खेलकूद तथा युवा सेवायें–05, स्पोर्टस स्टेडियम का निर्माण चालू कार्य–24 वृहद् निर्माण कार्य नामक मद के नामे डाला जायेगा।

5– यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय आदेश संख्या–824/वित्त अनुभाग–2/2004, दिनांक 02–12–2004 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे है।

भवदीय,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या– VI-I/2004, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1– महालेखाकार, लेखा एवं हकदारी, ओबरॉय बिल्डिंग,सहारनपुर रोड, देहरादून।
2– निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तरांचल शासन, देहरादून।
3– वरिष्ठकोषाधिकारी, देहरादून।
4– श्री एल0एम0 पन्त, अपर सचिव, वित्त विभाग।
5– निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
6– वित्त अनुभाग–2, उत्तरांचल शासन।
7– गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(अमिताभ श्रीवास्तव)
अपर सचिव।